कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

क्रमांकःकृमविझि / संस्था. / 2025 / 2166 दिनांकः 01.05.2025

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, झिलाई के फार्म गाँव–हरीपुरा (सिरोही रोड) पर खेती के लिए खरीफ 2025 व रबी 2025–26 की विभिन्न फसल उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 10–10 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 12.05.2025 को दोपहर बाद 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 500/– रूपये कैशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट **www.sknau.ac.in** से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 500/– का डी.डी. लगाकर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ कुल धरोहर राशि 10000/– (खरीफ–5000, रबी–5000) नगद/बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 12.05.2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान निदेशक, अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को DOR/SKNAU/2022/679 dated 20-10-2022 के बाबत्।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट और SPPP पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।
4. सूचना पट्ट, कार्या0 उपखण्ड अधिकारी, कार्या0–निवाई/कार्या0 पं.स. निवाई/कृषि उपज मण्डी निवाई/ग्राम पंचायत झिलाई।
5. स्थापना/लेखा–शाखा, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
6. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए श्री राजेश, प्रभारी फार्म (9654972451) से सम्पर्क करे।
7. सूचना पट्ट।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

College of Agriculture

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner - Jaipur)

Jhilai (Niwai)- 304025 Tonk (Rajasthan)

हिस्सा आधारित खेती व निविदा की शर्ते :–

1.	बीज एवं बीजोपचार तथा फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद, उर्वरक, फफूँदनाशक दवाईयाँ अर्थात सभी इनपुट्स व्यवस्था कॉलेज द्वारा देय होगी।
2.	ट्रेक्टर सम्बंधी समस्त कार्य, जुताई कार्य अर्थात् खेत तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग/स्प्रेयर कार्य, थ्रेसिंग मशीन उपकरण आदि उपकरणों की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनके सम्बन्धित डीजल खर्च में निविदादाता/हिस्साधारक का कोई योगदान नही रहेगा।
3.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ करके फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग हिस्साधारक को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमीं एवं कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
4.	विभिन्न शस्य क्रियाये फार्म प्रबन्धक/फार्म प्रभारी/अधिष्ठाता के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सम्पूर्ण श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें व फसलों को खरपतवार मुक्त रखना होगा।
5.	ट्रेक्टर, निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। निराई गुड़ाई तथा कटाई में उपयोग होने वाले औजार हिस्साधारक/निविदाता के होंगे।
6.	कोन्ट्रेक्ट खत्म होने/फसल पकने पर फार्म से लिया कृषि उपकरण/सामान स्टोर में जमा करवाने होगे।
7.	थ्रेसिंग कार्य की व्यवस्था फार्म प्रभारी/फार्म मैंनेजर के निर्देशानुसार निविदादाता/हिस्साधारक द्वारा करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैंनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
8.	प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
9.	हिस्साधारी प्रतिशत दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
10.	दर देने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे।
11.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नही सम्भालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश अधिष्ठाता दे सकेंगे। अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबन्ध की अवधि कार्य सन्तोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढाई जा सकती हैं।
12.	ठेकेदार/हिस्साधारक अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने का पूर्ण उतरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा। किसी भी शर्त को कम करके या नई शर्ते बढ़ाने का पूर्व अधिकार अधिष्ठाता को होगा। जिसकी लिखित सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।
13.	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर अधिष्ठाता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/हिस्साधारक की होगी।
14.	सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि घटाई बढाई जा सकती है।
15.	सम्पूर्ण खेती का कार्य फार्म प्रबन्धक/अधिष्ठाता के निर्देशानुसार करना होगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

16.	किसी भी प्रकार के कार्य संबंधित विवाद की स्थिति में फार्म प्रभारी / प्रबन्धक / कॉलेज प्रशासन को निर्णय का पूरा अधिकार होगा, जो ठेकेदार / हिस्साधारक को मान्य होगा। केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों का अधिष्ठाता के निर्देशानुसार सुविधाएँ देय होगी।
17.	किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
18.	व्यावसायिक फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी / चौकीदारी / सुरक्षा दिन व रात में करनी होगी। फसल की निगरानी स्वयं ठेकेदार / हिस्साधारक की होगी।
19.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नही करेंगे।
20.	धरोहर राशि कुल लागत का रू. 10000 / – (खरीफ–5000, रबी–5000) उसी दिन 12.05.2025 को जमा करवानी होगी।
21.	फार्म की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये कटाई का कार्य मशीन के द्वारा नही किया जा सकेगा।
22.	पम्प व ट्यूबवेल मोटर ओपरेशन निविदादाता / हिस्साधारक को ही करना होगा।
23.	आवास की व्यवस्था निविदादाता / हिस्साधरक को ही करना होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नही होगी।
24.	जमा राशि पर ब्याज देय नही होगा।
25.	बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसान के हिस्से का मण्डी / बाजार भाव 7 दिन का औसत करके खाते में या चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
26.	**चारा उपज का आधा भाग हिस्सेदार किसान का होगा।**
27.	निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा।
28.	हिस्साधारक / निविदादाताओं द्वारा क्षेत्रफल अपनी–अपनी सुविधानुसार निश्चित किया जा सकता हैं। उक्त स्थिति में अलग–अलग हिस्साधारक दर प्रतिशत को औसतन करना एवं औसतन पर हिस्सेदारी किया जाना कृषि महाविद्यालय को अधिकार होगा।
29.	खरीफ एवं रबी फसल के लिए क्षेत्रफल हिस्साधारकों द्वारा दर्शाना होगा।
30.	फार्म पर श्रमिक से सम्बंधित समस्त कार्य हिस्साधारक द्वारा किया जाना होगा एवं कृषि कार्य हेतु उपकरण एवं आदान कृषि महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ। कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक नाम :– पता:– मो0 न0:–	अधिष्ठाता के हस्ताक्षर मय सील

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

खुली निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :–

1. **योजना का नामः** व्यावसायिक फसल/बीज उत्पादन कार्यक्रम खरीफ व रबी हेतु वर्ष 2025–26 हिस्सा आधारित खेती
2. **बजट मदः** रिवोल्विग फण्ड, 2026
3. **कार्य की अनुमानित अवधिः** 1 वर्ष (खरीफ व रबी 2025–26)
4. **धरोहर राशि की प्रकृति व राशिः** नगद/बैंकर चैक/डी.डी राशि रूपये 10000/– (खरीफ–5000, रबी–5000)
5. **निविदा फार्म की कीमत** : रूपये 500/–
6. **निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि** :– 12.05.2025 दोपहरः 1.00 बजे
7. **निविदा खोलने की दिनांक व समय** :– 12.05.2025 दोपहरः 2.00 बजे
8. **निविदादाता** : कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण (संलग्न)

क्र. सं.	बोई जाने वाली फसल का नाम		क्षेत्रफल (बीघा में)	उत्पादन में दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)	
				कॉलेज हिस्सा	ठेकेदार हिस्सा
1.	खरीफ	बाजरा			
		मूँग			
		ग्वार			
		मूँगफली			
2.	रबी	सरसो			
		गेहूँ			
		जौ			
		चना			

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय पूर्ण पता